



कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वाररोड़, देहरादून, 248001

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org, Phone: 0135 2665366

विज्ञापित संख्या: 20 / 2026

दिनांक 01 जून, 2026

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 335 पदों हेतु अभिलेख सत्यापन सम्बन्धी आवश्यक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या उ०चि०से०च०बो०/परी०/11/2025-26/786, दिनांक:- 14 नवम्बर, 2025 यथा संशोधित विज्ञापन संख्या- उ०चि०से०च०बो०/परी०/11/2025-26/306, दिनांक- 15 अप्रैल 2026 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 335 पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गए डाटा के अनुसार श्रेणी-उपश्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के लगभग दो गुना तक अभ्यर्थियों को (पूर्ण वर्ष को सम्मिलित करते हुए) बोर्ड के समक्ष अभिलेख सत्यापन हेतु **18 जून, 2026 (वृहस्पतिवार/गुरुवार) से दिनांक 01 जुलाई 2026 (बुधवार) तक** कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में आमंत्रित किया जाता है। अभ्यर्थियों हेतु अभिलेख सत्यापन सम्बन्धी दिशा निर्देश एवं तिथिवार सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया है वे दिनांक 11 जून, 2026 से प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपने पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अंकित कर डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व उनके द्वारा भरे गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण वर्ष को वेबसाइट पर उपलब्ध कलैण्डर से जांच ले।

अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रवेश पत्र औपबन्धिक है तथा मात्र अभिलेख सत्यापन हेतु मान्य है। इसके आधार पर अभ्यर्थी चयन हेतु कोई भी दावा नहीं कर सकता है। अतः अभिलेख सत्यापन में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में दी गयी न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं एवं अन्य अनिवार्य अर्हतायें, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण करता हो। अंतिम तिथि के उपरान्त निर्गत प्रमाण पत्र स्वीकार/मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक/वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने तथा आवेदन पत्र से डाटा का सही मिलान न होने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार बोर्ड को होगा।

ह०/-

(प्रदीप जोशी)

सचिव,

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,

देहरादून।